न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 18/2023

हजारी लाल पुत्र रामसहाय जति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

1 शिवलाल पुत्र चन्दन–मृतक

1 / 1 कैलाश पुत्र स्व. शिवलाल मृतक

1/1/1 श्रीमती गिन्नो पत्नि स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा

1/1/2 श्रीमती बीना पुत्री स्व. कैलाश चन्द पत्नि प्रेमचन्द मीना जाति मीना निवासी ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करौली

1/1/3 कुलदीप पुत्र स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा

1/1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. कैलाश चन्द जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा

1/2 बाबूलाल पुत्र स्व. शिवलाल

1/3 जगदीश पुत्र स्व. शिवलाल

2. सियाराम पुत्र मोतीराम
3. राधेश्याम पुत्र मोतीराम
4. हरिओम पुत्र चिरंजी
5. अमरसिंह पुत्र चिरंजी

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा

6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील महवा

... रेस्पों0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं० 344 तस्दीक दिनांक 03.02.1983ग्राम हुडला तहसील महवा द्वारा तहसीलदार महवा जिला दौसा।

उपस्थित– 1. श्री ऋद्धि चंद शर्मा , अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 20.02.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर से रिमांड होकर प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर के द्वारा निर्णय दिनांक 18.7.2023 के द्वारा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible] को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से निर्देशित किया गया है कि [illegible] धारा 5 [illegible] अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनकर पहले निर्णय [illegible] अपील का विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

3. पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद के अधिनियम पर बहस में कथन किया कि अपीलांट राजकीय सेवामें कार्यरत था तथा अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहता था। अपीलांट का सेवानिवृत्ति के पश्चात गांव आकर रहने लगा व भूमि उपरोक्त वर्णित पर अपीलांट बहैसियत खातेदार लगातार काबिज के द्वरहकर काश्त करता चला आ रहा था तथा अपीलांट को कभी कोई शान्तिपूर्वक कब्जे में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई परन्तु दिनांक 14.5.2015 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबंदी की नकल लेने गया तो उक्त भूमि के हाल नंबरान में शिवलाल पुत्र चन्दन का नाम खातेदारी में अंकित पाया गया जिस पर अपीलांट ने जांच कर नकलें प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलांट को उक्त अवैध नामान्तरण की जानकारी हुई जिससे सर्वप्रथम जानकारी से यह अपील अंदर मियाद पेश है। हालांकि इस प्रकार के अवैध एवं वोइड ऐविनिश्यो ऑर्डर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं निर्धारित नहीं होती है। फिर भी रफाये हुज्जत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद प्रस्तुंत है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 30 वर्ष से भी अधिक के असाधारण विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

4. उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः दफा 05. कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

5. तत्पश्चात मूल अपील पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 139 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 282 / 534 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी मोती पुत्र कंचन हिस्सा 1 / 2 तथा हजारी पुत्र रामसहाय व हरिओम, अमरसिंह पिसरान चिरंजी हिस्सा 1 / 2 के नाम दर्ज चली आ रही थी। तहसीलदार महवा ने नाजायज रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के खसरा नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नामान्तरकरण मोती पुत्र कंचन, हजारी लाल पुत्र रामसहाय, हरिओम, अमरसिंह पिसरान चिरंजीलाल हिस्सा 1/4 व शिवलाल पुत्र चंदन हिस्सा 1/4 के नाम पटवारी हल्का से दर्ज करवाकर दिनांक 03.02.1983 को भरवाकर अवैध रूप से तस्दीक कर दिया। कानूनन किसी भी भूमि का नामान्तरण खोले जाने हेतु या तो किसी भी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री या कोई हस्तान्तरण अभिलेख या किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने के पश्चात इंतकाल द्वारा उसके वारिसान को उतराधिकार में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर ही नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का ना ही तो कोई विलेख ... ही शिवलाल किसी खातेदार का उतराधिकारी था और न ही किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय व डिक्री की है । उक्त नामान्तकरण बिना किसी अधिकार के पटवारी ... द्वारा भरा जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है जो ... खारिज योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण भरने व तस्दीक करने से न तो अपीलांट और न ही अन्य खातेदारान को किसी प्रकार का नोटिस दिया है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पीठ पीछे से अवैध तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। खसरा नं0 191 या 192 या 291, 292 या 290 वाके ग्राम हुडला से कोई लेना देना व सरोकार नही रहा है। अपीलांट राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

सेवा मे सेवारत था तथा नौकरी के सिलसिले मे बाहर ही रहता था । अपीलांट सेवानिवृति के पश्चात् गांव आकर रहने लगा और उपरोक्त वर्णित भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था । परन्तु दिनांक 14.05. 2015 को अपीलांट पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबंदी की नकल लेने गया तो उक्त भूमि के हाल खसरा नंबरान मे शिवलाल पुत्र चंदन का नाम खातेदारी मे अंकन पाया गया। तब अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान तहसील महवा के द्वारा पटवारी हल्का हुडला को प्रेषित पत्र दिनांक 24.01.83 मे रजामंदी का हवाला दिया गया है किन्तु कोई दस्तावेज इस संबंध मे नहीं है। अपील पेश होने के बाद तहसील के रिकार्ड में छेडखानी कर खसरा नं0 191 को 291 किया गया है । नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खोला गया है। अवैधानिक आदेश को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अतः उक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 344 दिनांक 03.02.83 ग्राम हुडला तहसील महवा को निरस्त फरमावें ।

6. अप्रार्थी सं0 1 से 5 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिवत रूप भरा गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
8. उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- संक्षिप्त विवरण एवं विवाद का विषयः—यह अपील ग्राम हुडला की कृषि भूमि खसरा नंबर 137, 139, 291, 451, 282/534 के संबंध में तहसीलदार महवा द्वारा जारी नामान्तरण सं0 344 दिनांक 3.2.1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उक्त भूमि पर मोती, हजारी, हरिओम और अमरसिंह का नाम दर्ज था किन्तु तहसीलदार ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया, सक्षम न्यायालय के आदेश या उत्तराधिकार के अवैध रूप से शिवलाल पुत्र चन्दन का नाम 1/4 हिस्से में दर्ज कर दिया।
- शिवलाल ना तो मूल खातेदार का वारिस था और नही उसके पक्ष में कोई अदालती डिक्री थी। अतः यह आदेश शुरू से ही शून्य है।
- न्यायालय का निष्कर्ष एवं आदेशः—पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि

1. प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान के पत्र दिनांक 24.1.1983 में हस्ब रजामंदी का हवाला तो दिया गया है लेकिन शिवलाल का नाम किस आधार पर जोडा गया इसका कोई स्पष्ट कानूनी आधार या सक्षम न्यायालय का आदेश रिकार्ड पर नहीं है।
2. भूमि अभिलेखों में बिना किसी वैध विलेख या उत्तराधिकार के नाम जोडना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः न्याय हित को ध्यान में रखते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता हैः—

" अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत नामान्तरण सं0 344 दिनांक 3.2.1983 को निरस्त (खारिज) किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार महवा को इस निर्देश के साथ रिमांड (पुनः प्रेषित) किया जाता है कि वे सभी पक्षकारों को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः कानून सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार महवा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेखागार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:19 IST
Reason: SelfAttested